MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक संशोधन पत्रिका

विद्यावार्ता

UGC Approved Jr.No.62759

DR. PRAMOD YADAV
ASST. PROFESSOR
Deptt. of Pol. Sci. & Pub. Adm.
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

Oct. To Dec. 2017
Issue-20, Vol-01

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

"Printed by: Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. Published by Ghodke Archana Rajendra & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor Dr. Gholap Bapu Ganpat.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Seth R.C.S. Arts & Comm. College Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

ISSN: 2319 9318

26) "अपरवेदा सिंचाई परियोजना से कशषि उत्पादकता एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन"
डॉ. बी.एल. पाटीदार.निवाड़ी, कैलाश यादव.खरगोन || 111

27) अदम गोंडवी की कविता में जनवादी चेतना
प्रा.डॉ.महेंद्रकुमार रामचंद्र वाढे, धुले. || 118

28) गांधीजी राजनीतिज्ञ या राष्ट्रभक्त ?
डॉ. अजय शंकर यादव, झाँसी, उ.प्र || 121

29) छत्तीसगढ़ राज्य में महिला पुलिस थानों की भूमिका का प्रशासनिक अध्ययन
डॉ. प्रमोद यादव, नुसरत जहाँए दुर्ग (छ.ग.) || 123

30) आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के साहित्य में सांस्कृतिक चेतना
प्रा. पटेलिया तेजाभाई एन. राजेन्द्रनगर, जि. साबरकांठा || 127

31) कवि रसखान और उनकी कृष्ण भक्ति
डॉ. नजमा एम. अंसारी कालावड, जि. जामनगर || 131

32) सूर्यबाला की कहानियों में चित्रित परंपरावादी नारी
डॉ. गेलजी भाटिया रांधेजा, || 134

33) उषा राजे सक्सेना की कहानियों में सामाजिक मूल्य
डॉ. बाबूलाल वी. मारू बोटाद (गुजरात) || 138

34) हिन्दी उपन्यासों में विस्थापन और श्रमिक जीवन
– डॉ. जादव जगमालभाई आर. बगसरा || 141

35) धमञ और विज्ञान
डॉ. रमेशचन्द्र मुरारी फतेपुरा दाहोद || 146

36) जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में पारिवारिक जीवन
– डॉ. जादव जगमालभाई आर. बगसरा || 152

37) आयुर्वेद और धर्मशास्त्र
प्रा. रामसिंह एन. डोडिया कोडीनार, जि. गिर सोमनाथ || 155

38) प्रेस की विधायीका कार्यपालीका और न्यायपालीकासे संबंध : एक विश्लेषण
प्रा. लक्ष्मण एफ. शिराळे, विदर्भ महाविद्यालय, बुलडाणा || 160

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

Seth R.C.S. Arts & Comm. College
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

MAH MUL/03051/2012 ISSN: 2319 9318 | UGC Approved Jr.No.62759 | Vidyawarta® | Oct. To Dec. 2017 Issue-20, Vol-01 | 0123

बात है तो उन्होंने सिर्फ जनकल्याण और राष्ट्रकल्याण के लिए ही कूटनीति का प्रयोग किया था। क्योंकि यदि गॉधीजी ऐसे न करते तो तत्कालीन समय के अव्यवस्थित समाज को एक सूत्र में बांधना कोई आसान कार्य नहीं था। गॉधीजी तो एक राष्ट्रभक्त संत थे, जिन्हें सत्ता व धन का कोई मोह नहीं था। उनके यही नैतिक गुण आज भी समाज में विद्यमान है और लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे है और उन्हें एक नई दिशा प्रदान कर रहे है।

इस प्रकार,यह माना जा सकता है कि गॉधीजी एक महान व्यक्तित्व के गुणों के स्वामी थे उनके जैसा महापुरूष भारत भूमि पर अविरल ही जन्म लेते है। क्योंकि उनकी भावना सदैव मनसा—वाचा—कर्मणा एका अर्थात् मन वचन और कर्म से एक रहने की रही। उन्होंने अपने जीवन में जो सोचा, वही बोला और वही किया, उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका विरोधी वर्ग उनके गुणों का विश्लेषण करते हुए जो उन्हें एक राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ मानता है वह किसी भी दृष्टि से सार्थक प्रतीत नहीं होता है तथा ऐसे लोगों के लिए तो यह कहावत अवष्य सार्थक सिद्ध होती है —

''ईष्यालु को कमल में भी मल नजर आता है, भोले शिशु की मुस्कान में भी छल नजर आता है।''

संदर्भ सूची:—

१. वेंकटेश्वर राव:— भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

२. K.V.PUNNIAH: THE CONSTITUTIONAL HISTORY OF INDIA

३. MOTILAL NEHRU: THE VOICE OF FREEDOM

४. ताराचन्द : भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

५. P.SITARAMAIYA : THE HISTORY OF CONGRESS

६. हडसन : द ग्रेट डिवाइड

७. बी.एल. ग्रोवर : आधुनिक भारत का इतिहास

८. पोलक, एच.एस.: महात्मा गॉधी

९. THE STORY OF MY EXPERIMENT WITH TRUTH : M.K. GHADHI

29

छत्तीसगढ़ राज्य में महिला पुलिस थानों की भूमिका का प्रशासनिक अध्ययन (दुर्ग संभाग के विशेष संदर्भ में)

डॉ. प्रमोद यादव
शोध निर्देशक/सहायक प्राध्यापक
(राज. विज्ञान)
सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

नुसरत जहॉ
शोधार्थी (राज. विज्ञान)
सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

****

प्रस्तावना :

प्रस्तुत शोध आलेख में महिला पुलिस थानों की भूमिका का प्रशासनिक अध्ययन किया गया है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में समाज में आर्थिक सामाजिक बदलाव आये तब नारी के लिए भी नौकरी और शिक्षा के अवसर जैसे— कम्प्यूटर, मीडिया, सेना, डॉक्टर, विज्ञान आदि में भी अपनासिक्का जमा लिया अब नारी की दुनिया बदल रही है और वह किश्तों में जीनें की बजाय पूर्ण औरत बन गई किन्तु अभी भी नारी कई स्थानों पर हिंसा का शिकार है, प्रताडित है नारी उत्थान का अर्थ कदापि नही कि समाज नारी प्रधान हो जाए और नारी समाज मिलकर पुरूषों को शोषित या प्रताड़ित करने लग जाए, नारी समाज के उत्थान का तात्पर्य है कि नारी को निरंकुशता क्रुरता, अमानवीय व्यवहार से मुक्ति मिले, इस उद्देश्य को

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

MAH MUL/03051/2012 ISSN: 2319 9318 | UGC Approved Jr.No.62759 | Vidyawarta® | Oct. To Dec. 2017 Issue-20, Vol-01 | 0124

पूरा करने के लिए प्रगतिशील समाज में जब महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व करने लगी, तब समाज के दलित, पीड़ित व कमजोर वर्ग के लिए हरिजन थानों व महिला थानों की स्थापना होने लगी एवं राज्य व केन्द्र सरकार ने इसके लिए नये—नियम व नीतियों को लागू करना प्रारंभ किया। महिलाओं से संबंधित कानून, महिला सुरक्षा एवं नारी उत्थान पर बल देता है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये भारतवर्ष में पुलिस विभाग में महिला पुलिस बल की आवश्यकता पड़ी। फलतः महिला पुलिस की स्थापना की गई। जो सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। जो महिला प्रताड़ना संबंधित कानून में दिये गये नियमों और नीति—निर्देशों के पालन से महिलाओं का बचाव करने में सक्षम हैं।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय :

दुर्ग का उपनाम औद्योगिक नगर है यह रायपुर से ३७ कि.मी. की दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय है दुर्ग नगर नव—निर्माण दुर्ग संभाग के अंतर्गत है इस नगर की नींव लगभग १० वीं शताब्दी में जगतपाल ने डाली थी जो मिर्जापुर जिले का निवासी था और रतनपुर राज्य में कोषाध्यक्ष का कार्य करता था राजा रत्नदेव उसकी कार्यकुशलता से खुश एवं संतुष्ट थे फलतः उन्होने दुरूग किला तथा क्षेत्र जिसके अंतर्गत ७०० गांव आते थे उसे पुरस्कार में प्रदान किया। दुरूग का असली नाम शिव दुर्ग था जैसे कि दुरूग में प्राप्त एक शिलालेख से विदित होता है। दुर्ग नगर में मिटटी के किले के खण्डहर निर्माण स्पष्टतः प्राचील समय में हुआ था। गुप्त राजाओं की मुद्राओ की खोज दुर्ग के बानबरद से हुई। छ.ग. राज्य के पश्चात रायपुर संभाग के अंतर्गत दुर्ग, राजनांदगॉव, रायपुर, धमतरी, महासमुंद जिले आते थे किन्तु कुछ जिले जनसंख्या के आधार पर संभाग रायपुर से अत्यंत दूरी पर स्थित थे आम जनता को कार्यो को करने में दिक्कत होती थी अपने कार्यो के लिए उन्हे रायपुर आना पड़ता था। इसलिए छ.ग. शासन ने सन २०११ में ३ अतिरिक्त जिलों का निर्माण किया जिसमें दुर्ग जिले की पुरानी तहसील बालोद और बेमेतरा भी जिले के रूप स्वतंत्र प्रभार में आया कर्वधा, राजनांदगॉव, बेमेतरा की दूरी रायपुर मुख्यालय से काफी दूरी पर थी इसलिए जनता के कार्यो में आसानी के लिए १५ अगस्त २०१३ के छ.ग. शासन द्वारा दुर्ग संभाग का गठन किया गया जिसके अंतर्गत दुर्ग, राजनांदगॉव, बालोद, बेमेतरा, कर्वधा जिले आते है। दुर्ग जिला छ.ग. का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। दुर्ग जिले के भिलाई को टिवन सिटी भी कहा जाता है। दुर्ग जिला वर्तमान में पीतल एवं तांबा उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। दुर्ग शहर शिवनाथ नदी के पूर्वी तट पर स्थित है दुर्ग जिले के धनौरा से सर्वाधिक महापाषण कालीन अवशेष प्राप्त हुए है यहाँ की मिटटी लाल, बलुद, मिटटी है यहाँ की मख्य फसल चावल, दाल, तिलहन, गेहूँ चना है शिवनाथ एवं कोटरी यहाँ कि प्रमुख नदी है २०११ की गणना के अनुसार दुर्ग की जनसंख्या ३३,४३,८७२ है।

महिला पुलिस थाने की पृष्ठभूमि :

सर्वप्रथम महिला पुलिस का निर्माण भारत के केरल राज्य में हुआ। जब महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण का सामना करना पड़ता था तब कुछ ऐसी बातें थी जो एक महिला, महिला पुलिस से ही बता सकती थी। इन परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए महिला पुलिस बल का निर्माण किया गया जिससे जुड़कर नारी अपना कानून अपने अधिकारों से न कि परिचित हुई सुरक्षित एवं अपनी रक्षा करना भी सीखने लगी। महिला पुलिस के आने से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी। महिला पुलिस बल एवं महिला पुलिस थानों की आवश्यकता शासन—प्रशासन द्वारा आवश्यक समझकर महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थनाएं प्रारंभ की गई और गरीब—असहाय, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के संदर्भ में महिला पुलिस थानों का निर्माण संपूर्ण भारत के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में भी किया गया। सर्वप्रथम अविभाजित मध्यप्रदेश में १९८७ में महिला पुलिस थानों की स्थापना की चर्चा की गई, इसके बाद ३ अक्टूबर १९८९ में महिला पुलिस थाना की घोषणा की गई, जिसे ३

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College Durg (C.G.)

नवंबर १९८९ को अविभाजित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया गया कि महिला थाना का निर्माण होगा। ६ जुलाई १९९१ में अविभाजित मध्यप्रदेश में दुर्ग जिले के दुर्ग शहर के मोहन नगर में छत्तीसगढ़ का पहला महिला थाना प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से दुर्ग संभाग/जिले में अभी एक ही महिला पुलिस थाना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में महिला पुलिस थाना दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर जिले में है।

महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम एवं अधिकार :

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बहुत से अधिनियमों के माध्यम से महिलाओं को अधिकार प्रदान किये गए हैं जो अग्रलिखित हैं

१. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, १९२९
२. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, २००६
३. सती निवारण अधिनियम, १९८७
४. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५
५. बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम, १९८६
६. दहेज प्रतिषेध अधिनयिम, १९६१
७. महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, १९८६
८. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, १९७१
९. गर्भ धारण पूर्व प्रसूति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, १९९४
१०. लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, २०१२
११. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, २००५
१२. छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम, २००७
१३. छत्तीसगढ़ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम, २००६
१४. छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, २००५
१५. छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम, २००४
१६. छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, २००६

शोध अध्ययन का उद्देश्य :

शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ राज्य में महिला पुलिस थानों की भूमिका का प्रशासनिक अध्ययन करना है जिसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया गया है कि महिला प्रताड़ना को रोकने में महिला पुलिस थानों की क्या भूमिका रहती है। संविधान द्वारा महिलाओं को संरक्षण प्रावधानों/कानूनों का अध्ययन करना। अध्ययन क्षेत्र महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना। महिलाओं के प्रति किये जा रहे विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन करना। महिला पुलिस थानों में महिला प्रताड़ना को रोकने में किये जा रहे प्रयासों एवं उनकी भूमिकाओं का प्रशासनिक अध्ययन करना। महिला प्रताड़ना या अत्याचार को रोकने के संविधान/कानून समाज या अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना। महिलाओं को प्रताड़ना से बचाने, स्वयं आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना –

महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। महिलाओं की समुचित सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान पर्याप्त नहीं है। वर्तमान कानून व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन की आवश्यकता है। महिला पुलिस थाना को प्रभावशील बनाने के लिए उनके अधिकारों में वृद्धि की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु वर्तमान कानून व्यवस्था के कियान्वयन में और अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के साथ महिलाओं की जन–जागरूकता के विस्तार की आवश्यकता है ।

शोध की अध्ययन पद्धतियाँ :

प्राथमिक स्त्रोत के अध्ययन हेतु प्रश्नावली /साक्षात्कार, अवलोकन, सर्वेक्षण, सैम्पलिंग एवं

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG

विश्लेषण तथा द्वितीयक स्त्रोत के अंतर्गत प्रकाशित प्रलेख, शोध–संस्थानों के प्रतिवेदन पत्र–पत्रिकाएँ पाठ्य–पुस्तक तथा शासन द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित सभी प्रकाशित सामग्री पत्र, वेबसाइट, पूर्व की वार्षिक का अध्ययन किया जावेगा।

वर्ष २०१२ से २०१६ तक पांच साल में दुर्ग महिला थाना में ९९.२ : मामलों को सुलझाया गया है। जिनका विवरण अग्रलिखित है–

वर्ष	अपराध संख्या	कुल निराकृत	लंबित
२०१२	४५	४४	०१
२०१३	२९	२९	००
२०१४	२९	२९	००
२०१५	२०	१९	०१
२०१६	२४	२२	०२

दुर्ग संभाग के अंतर्गत पांच जिले आते हैं परंतु महिला पुलिस थाना मात्र दुर्ग जिले में है अन्य जिले में महिला प्रताड़ना से संबंधित मामलों को महिला प्रकोष्ठ द्वारा शून्य में पंजीकृत कर दुर्ग महिला पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिये जाते हैं।

प्रमुख सुझाव :

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियमों से महिलाओं को प्रताड़ना से रोकने संरक्षण कानून निर्मित करने के बावजूद महिला प्रताड़ना की संख्या में वृद्धि होती जा रही है परंतु इन स्थितियों से निपटने के लिये सिर्फ सरकार पर निर्भर रहा जा सकता। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही इसे कम किया जा सकता है। घरेलू विवादों के कारण महिला प्रताड़ना में संख्यात्मक वृद्धि लगातार दिखाई दे रही है। महिला पुलिस थाना द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से आपसी विवादों को कारगर तरीके से सुलझाया जा सकता है। महिला पुलिस थानों में पर्याप्त संसाधनों को अभाव से मामलों की विवेचना भी लंबित रह जाती है। अधिनियमों का संरक्षण एवं जागरूकता का दुरूपयोग भी अनावश्यक मामलों को जन्म देता है।

निष्कर्ष :

महिला प्रताड़ना से संबंधित विशेषकर दहेज प्रताड़ना कानून आईपीसी की धारा ४९८ ए के दुरूपयोग के संबंध में सुप्रीमकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। प्रताड़ना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हालात से निपटने के लिये हर जिले में परिवार कल्याण समिति बनाने का निर्देश जिले की लीगल सर्विस अथॉरिटी को दिये हैं। महिला थानों में नियुक्त कर्मचारी की तत्परता एवं लगन के साथ कार्य करने से भी महिला प्रताड़ना से संबंधित मामलों को सुलझाया जा सकता है। शासन की मंशा है कि अनावश्यक मामले जो बेवजह दूसरों को परेशान करने के लिये दर्ज कराया जाता है उसे परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से हल कर लिया जाए ताकि कोई भी परिवान न टूटे एवं वास्तविक अपराधी को सजा भी मिले। दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग जिले में विशेषतौर पर रक्षा टीम सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। सामाजिक जागरूकता से महिला प्रताड़ना का उन्मूलन किया जा सकता है।

संदर्भ गंथ सूची :

१. दुर्ग जिले का परिचय–दाऊ निरंजन सिंह गुप्ता
२. भारतीय दंड संहिता–१९७३
३. दुर्ग जिले की सांख्यिकी पुस्तिका–वर्ष २०११
४. महिला पुलिस थाना दुर्ग से प्राप्त आंकड़े
५. दैनिक समाचार पत्र–दैनिक भास्कर, दिनांक २८ जुलाई २०१७, २५ जुलाई, २०१७

Seth R.C.S. Arts & Comm. College Bhilai Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College D.